<u>प्रकरण संख्या 80/2023 पृथ्वीराज व अन्य बनाम सरकार व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बाबरियाखेडा में आराजी नंबर 178 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है, जो जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। वादी का अपने पूर्वाधिकारी रामा, हमराज गुर्जर के समय से कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के पूर्वज हमराज जी के फोत होने के बाद उसके पुत्र रामा जी तथा रामा जी के फोत होने पर उसके पुत्र गणपतलाल जी का तथा गणपतलाल जी के फोत होने पर उसके पुत्र वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से पर तथा कालु पिता रामा गुर्जर के जीवन काल में कालु का व उसके मरणोपरान्त वादी संख्या 2 रामीबाई पत्नी पुष्करलाल का 1/2 हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है, जिसे 40 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। अतः वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में अंकन कराया जावे। प्रतिवादी की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने लम्बे कब्जे के आधार पर घोषणा चाही है, जबकि वादीगण के विरूद्ध समय-समय पर धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे उसका कब्जा नियमित रूप से नहीं रहा है। विवादित आराजियात राजस्व अभिलेखों में बिलानाम सरकार दर्ज है। राजकीय भूमि पर लम्बे कब्जे के आधार पर वादीगण किसी प्रकार की घोषणा के अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 22.02.2019 से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार करते वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.10.20[illegible] को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री क[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:37 IST
Reason: SelfAttested

चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कोविड–19 के कारण लॉकडाउन लग जाने एवं अपीलान्ट संख्या 2 विकलांग महिला होने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सकी तथा अधिवक्ता द्वारा भी अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गयी। अभी हाल ही में रेस्पोन्डेन्ट मौके पर आये और कब्जा खाली करने को कहा तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब देते हुए अपीलान्ट/वादीगण की ओर से निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा धारा 63 (4) रा.का.अ. के तहत मांग नहीं की गयी है, बल्कि मात्र घोषणा चाही गयी है, जिसकी सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादीगण का वाद इसी प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:37 IST
Reason: SelfAttested

करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध खसरा परिवर्तन शील एवं धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नोटिसों से विवादित आराजी पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। अपीलान्टगण द्वारा अपने पुराने के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही गयी है, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का होकर उसका निस्तारण तनकियात कायम कर साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत अपीलान्ट/वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ मानकर खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 6/2015 निर्णय एवं डिक्री 22.02.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वाद एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर तत्पश्चात् उन पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.08.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:37 IST
Reason: SelfAttested